loyraent only in fifteea years. Therefore, difference in growth rate makes all the difference. If one were to say that the most pressing problem today is unemployment, then I would say that the earlier you can get rid of unemployment the better. Therefore a growth rate of Jen per cent will be feasible Of course, if you can achieve a fifteen per cent growth rate, you can wipe out unemployment within a period of five years. But a fifteen per cent growth rate may not be possible. Bui there are some States like, for example, Haryana, and for a small period, even Gujarat, which have achieved very high growth rates. 1 do not know when the Planning Minister was the Chief Minister of Gujarat, what growth. rate was achieved by Gujarat. But I would like, to point out to everybody, to all persons in the country, that Surat is one city which has no unemployment. Why is it so? There is something to be learnt from what is happening in Surat. The same idea, the lesson that I have learnt from Surat, I am trying to bring in here.

The question is, what does the experience of forty years of planning suggest? Of course, we have made progress. I am not one of those who would say that we have not made any progress at all. We have made progress sufficient progress of which we can be some what proud. But considering the potential of the country, considering the urgency of the problems in the country, the progress we have made is pitiful. After all, what is it that we are lacking? The people of India; are they somewhat inferior? No. if we look at the history of India, we will know that India was one of the most developed countries in the world till about 250 years ago; people from all over the world came to India to learn, to buy things, to look at our wonders to learn how cloth was made, how spices were produced, to know about technology and so on. Sir, recently I was studying a book on rocketry. I found fliat the knowledge in regard to rocketry, the modern principles of rocketry, was first made available in India after that famous battle was fought with Tippu Sul-taa The rockets that were let loose against the British forces were then taken

to England, given to the scientists and they were asked to study, to redo the rocket and improve upon it. Therefore, India has been a developed country. We were a developed country till about 250 years ago. But suddenly, we have become an underdeveloped country. Now you can say that this is because of British imperialism and all that. I agree. But now we want to improve. We want to become a developed country. How can we do that? This is the key question. Sir, since it is now 5 p.m., I think; I will stop here

"THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): Still there is one minute.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: In addition, we should look around the world. What is happening in China? What is happening in Russia?

What is happening in Russia?

My Communist friends are little embarrassed here.

5.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): It is 5.00 now. You can continue next time. Now we will take up Half-an-Hour Discussion.

Mr. Malaviya will raise the discussion.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON POINTS ARISING OUT OF THE ANSWER GIVEN IN THE RAJYA SABHA ON THE 29TH JULY, 1988, TO STARRED QUESTION 41 REGARDINIG INCREASE IN THE AMOUNT OF SCHOLARSHIPS AND STIPENDS TO SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES STUDENTS.

श्री सत्य प्रकाश मालबीय (उत्तर प्रदेश) उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रभी इस सदन में 29 जलाई को श्री ग्रजीत जोगी जी ने एक प्रथन उटाया था कि जो श्रनुसूचित जाति श्रीर श्रनुसूचित जत-जाति के छात्र हैं उन छात्रों को जो छात्र-मृत्ति या वृत्तिका की रकम की सहायता सरकार की श्रोर से दी जाती है वह बहुत ही कम है श्रीर उनका ग्रामय यह था कि इसमें वृद्धि होनी चाहिए।

श्री सत्य प्राकाश मालवीय]

मान्यवर, हमारा जब संविधान बन रहा था, उसमें इस वात की व्यवस्था की गई थी कि समाज के ऐसे वर्ग के लोग जो बहत ही गरीब हैं, गरीब स्थिति में रहते हैं और जिनके घर का वातावरण भी ठीक नहीं, स्वच्छ नहीं रहता है उनके लिए कोई आरअण चलाना चाहिए और आज भी आरक्षण, चल रहा है जो कि बहुत भावस्थक है भीर इसी दृष्टि की देखते हए सरकार ने यह भी योजना बनाई कि धनुस्चित जाति घौर धनुस्चित जनजाति के जो बच्चे हैं सगर वे अपने घर में रहेंगे तो ठीक प्रकार से शिक्षा वह प्राप्त नहीं कर सकेंगे और अगर उनको अच्छी प्रकार से मिला प्राप्त करने की सविधा होगी तो वे देश की भी सेवा कर सकेंगे ग्रीर राष्ट्र के निर्माण के काम में लगेंगे तभी हमारा देश प्रगति करेगा। यह ,बात निविवाद है कि जब हमारा संविधान बना था उसके हमारे संस्थापक या उसके निर्मातां स्वयं डा० ग्रम्बेडकर थे और इस देश में जब हमारा देश आजाद हुआ तो डा० अम्बेडकर इस देश के पहले विधि और न्याय मंत्री बने। वह बहत ही विद्वान थे और उन्होंने देश को एक नई दिला दी। इस बात की ग्रोर में इसलिए जोर दे रहा हं कि समाज के इस तबके को यदि विशेष सहायता मिलेगी तो इस तबके के लोग ग्रामे चलकर के राष्ट्र के निर्माण में बहुत योगदान दे सकते हैं और सन् 81 में मान्यवर, जब सैंसस हमा था, मदंगशमारी हुई थी तो उसके हिसाब से जो अनुसुचित जाति के लोग हैं उनकी संख्या 10 करोड़ पचास लाख थी और मेरे हिसाव से यह संख्या ग्राज के दिन कम से कम 12 करोड़ जरूर होगी ग्रीर इसी प्रकार जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनकी संख्या उस समय 5 करोड 38 लाख थी और मेरे हिसाब से उनकी संख्या ग्राज कम से कम 7 करोड जरूर होगी। इस प्रकार से हमारे देश की जो पूरी जनसंख्या है उसकी स्रावादी का करीब करीब 1/5 हिस्सा इस वर्ग से आता है और सरकार ने इस सिलसिले में कुछ प्रावधान भी किए थे ग्रौर सन 78 में अनुस्चित जाति और जनजाति के लिए सरकार के प्रयास के द्वारा गृह मंत्रालय ने एक भागोग का भी गठन किया। पहली बार 1978 में इस ग्रायोग का गठन किया गया लेकिन आयोग को भी अपने कार्य में दिक्कतें ग्राती हैं। इस सिलसिले में अभी आयोग ने अपनी सिफारिश दी हैं जिनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन श्रायोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी है गतवर्ष रिपोर्ट ।

The Commission is greatly handicapped in peiforming its functions effectively because it does not enjoy constitutional status. This makes the Commission at times a helpless spectator of nonperformance and noncompliance. The situation- needs to be remedied without further loss of time. It is, therefore, once more strongly urged that the Government, of India urgently consider giving this Commission constitutional status.

ने ग्रागे भी लिखा है:

We have also not been given powers under the Commission of Inquiry Act, Therefore, powers- under the Commission of Inquiry Act, should also be conferred upon the Commission.

लेकिन यह सरकार उसकी उपपेक्षा कर रही है। कमीमन जो सिफारिम कर रहा है, हर साल कमीशंन प्रपनी रिपॉर्ट देता है और हर साल कमीयन अपनी सिकारिश करता है कि हम को संवैधानिक अधिकार दिये जायें, हम को कस्टीट्यणनल स्टेटस दिया जाये, हमको कमीशन ग्राफ इंक्वायरी एक्ट के तहत अधिकार विये जायें जिससे हम ठीक से अपना काम कर सकें लेकिन इस सिलसिले में सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान ग्राक्षित करना चाहता हं कि 1985 से इस काम को जिसकी चर्चा हुई है उस मंत्रालय में संबद्ध किया था लेकिन 85 में इस सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया. कल्याण मंत्रालय के नाम से । अनस्चितः जाति, अनुस्चित जनजाति और पिछड़े वर्गों का जो मामला है वर्तमान मंत्रालय से संबद्ध करता है। इस प्रश्न से और उत्तर से तीन प्रश्न पैदा होते हैं। एक सवाल यह है कि जो छात्रवृत्ति या

वृत्तिका स्कालरिशप मिलती है वह बहुत क्षम है ग्रीर दूसरा प्रथन यह है कि जो रटाइपंड निष्चित हो चुका है उसमें वृद्धि की जानी चाहिये। हर साल जिस प्रकार से महनाई बढ़ती है उसके हिसाब से उसमें बृद्धि की जानी चाहिये। क्योंकि जो रूपया है उसका अवमूल्यन हो रहा है। तीसरा प्रजन यह पैदा होता है और मंत्री जी ने स्वयं उत्तर में स्वीकार किया था कि बदलों हुये उपभोक्ता मृत्य सूचकांक के आधार पर स्वतः संशोधन करना व्यावहारिक नहीं है। जिस तरीके से सहनाहिष्य या स्टीपेंड में वृद्धि करेंगे

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा॰ राजेन्द्र कुमारी बाजनेत्री) मेने बाटोमेटिक शब्द सूज किया था। आप जो कह रहे हैं उसमें और साटोमेटिक में फर्क हो जाता है।

श्री सस्य प्रकाश मालभीय : बदलते हुये उपभोक्ता मृत्य सुचकांक के आधार पर इवतः संबोधन करना त्यावहारिक नहीं है। बंग्रेजी में तो ठीक हैं। लेकित कमीणन ने यह रिकमेंडेणन दी थी। जिस कमीणन की मैं चर्चा कर रहा हूं। उसी कमीणन ने यह रिपोर्ट दी थी, पांचवी रिपोर्ट की बौर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1982-83 की रिपोर्ट है। उसके पेज 10 पैरा 5 1। में बमीणन ने खुद संस्तुति की है:

The cost of living index has increased sharply during the last two years, eroding the purchasing power of rupee. An upward revision in the rates of scholarships and income limits is therefore urgently called for

यह रिपोर्ट दी 1982-83 में और ब्राज 88 हो गया है और परसों या नरेसों मंत्री जी ने यह उत्तर दिया कि यह संभव नहीं है। तो किस बात के लिये यह कमीशन बैटाया गया। जब कमीशन के पास कोई अधिकार नहीं है, कमीशन ने जो संस्तुति दी है उनको ब्राप सुनते नहीं हैं। समाज का जो सबसे वड़ा कमजोर बर्ग है उसके बारे में जो संस्तुति दी है सरकार उसकी सुनवाई नहीं करती है। कमीशन जो रुपये की

कीमत है उसकी भी चर्चा की है। 1960 में जो रुपये की कीमत थी 100 पैसे थी। 1980 में घट कर 25.64 हो गयी। 1981 में 22.68 थौर 1982 में 21.5 और 1983 में 18.80, 1984 में 17.36 और 1985 में 16.64 और 1986 दिसम्बर में 14.53, 1987 दिसम्बर में 14.53, 1987 दिसम्बर में 12.97। जुलाई में और घट गयी होगी। जो आवश्यक चीजें हैं उनमें घट गयी होगी। जो आवश्यक चीजें हैं उनमें युढि कम से कम 25 परसेंट से लेकर 40 परसेंट तक हो गयी है।

In 1986 it was revised. The Minister may correct me. Probably in the year 1986 it was revised.

हमार पास 1986-87 का बाएक ।रपाट है । इसमें स्कालरिशप और स्टाइप्लेंड की चर्चा है । इसमें कहा गया है :

"Pre-matric scholarships for the children of those engaged in unclean occupations".

"The main object of the scheme -is to provide good quality of education to the children of those engaged in unclean occupations, viz. scavenging, flaying and tanning by keeping them away from the unhygienic surroundings under which their parents live. The sweepers who have iraditional link with the job of scavenging have also been included under the scheme from the year 1986-87. The rates of scholarships have also been enhanced from Rs. 145 p.m. to Rs. 200 p.m. per student for classes VI to VIII and Rs. 250 p.m. per student for classes IX to X for meeting the expenditure...". Now mind "expenditure".

".".. on tuition fees, cost of boarding. and lodging, cost of books etc. and other equipment and other incidental charges."

में यह जानना चाहता हूं कि 200 है. में और 250 है. में क्या बाज के दिन कोई अपनी समस्याओं को हल कर सकता हैं? कई स्थानों में तो उनको मकान भी किराये पर लेना पड़ता है। क्या कोई लड़का दो सौ रुपये में या ढाई सौ रुपये में या ढाई सौ रुपये में बा ढाई है?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

किताबें खरीद सकता है, कपड़े बना सकता है, ग्रीर साथ साथ इक्वीपमेंट भी खरीद सकता है ? ग्रभी परसों की श्री कपिल वर्मा और श्रीमती वीणा वर्मा के पाठ्य पुस्तकों के मृल्यों में वृद्धि के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या 101, दिनांक 3-8-88 को सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि टेस्ट वक्स के मुल्यों में वृद्धि हुई है। सरकार ने इस बात को माना है कि पाठय पुस्तकों के मुख्य में 5 पैसे से 5 रु. 45 पैसे तक की श्रंखला में वृद्धि हुई है। कुछ ग्रन्य पाठ्य पुस्तकों के मृत्य में तो लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसमें एक रुपता का भी प्रश्न है। इनमें यनिफार्मिटी होनी चाहिये। मैं सरकार का ध्यान एकरूपता की ग्रोर ग्राकपित करना चाहंगा । मेरे पास छात्रवत्ति के सिलिसिले में कुछ ग्रांकड़ें हैं। विभिन्न राज्यों में जो आर्थिक सहायता दी जा रही है उसमें बहुत ज्यादा अन्तर है। गुजरात में स्कालरिशप 140 र. से 240 र. सालाना है और हरियाणा में 16 रु. प्रति माह है । हिमाचल प्रदेश में 8 ह. और 15 ह. प्रतिमाह है भीर उत्तर प्रदेश में जहां से माननीय मंत्री महोदया भी ब्राती हैं वहां पर 33 रु. से 22 रु. प्रतिमाह है और वह भी ऐसे लोगों के बच्चों को मिलेगा जिनकी सलाना ग्राय 6 हजार रुपये तक की है। केरल में 20 से लेकर 80 रु. प्रतिमाह है। राज्य सरकारों को यह सहायता केन्द्रीय सरकार देती है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हं । लेकिन इतना कहता हं ग्रीर तीन बातों की ग्रोर ग्रापका ध्यान ग्राकवित करना चाहता है। एक तो यह कि जो कमीशन है उसको संवैधानिक मान्यता, कांश्टिट्युशनल स्टेटस मिलना चाहिये। दूसरा, जो स्कालर-शिप मिलता है उसमें एकरुपता हो । इसके लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को अनदान दें, उनकी ब्राधिक सहायता करे ताकि वे कम से कम ठीक ढंग से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें। तीसरा मेरा निबेदन यह है कि जो वर्तमान दरें हैं, स्टाइफंड में जो वृद्धि हुई है उसको शीध अदा कर दें। इस सिलिसिले में मैं इस बात का निर्वेदन करना चाहता हं

कि इस बात का प्रावधान किया जाना चाहिये कि जैसे जैसे महंगाई की दरों में बद्धि हो उसमें भी बद्धि की जायेगी। जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिये है, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के लिये हैं। उनकी मंहगाई की दरों में हर तीन माह बाद बद्धि होती है। जो गरीब बच्चा है उसका जीवन स्तर भी उठना चाहिये। यह सारा राष्ट्र चाहता है कि जो ऐसे बच्चे हैं उनकी ग्रापको सह।यता करनी चाहिये । इस प्रकार मेरे तीन सवाल हो गये हैं । पहला

"The question of enhancement of rates of maintenance allowance, upward revision, in the means test etc. had been engaging attention of the Government for quite some time and the high-level official committee under the Chairmanship of the Additional Secretary in the Ministry representatives from the Ministries of Human Resource Develop, ment, Finance and Planning Commission set up to review the scheme has submitted its report. The recommendations made by the Committee are under the consideration of the Govern-

Last year also the reply was 'the matter is under the consideration of the Government'. Now, the word 'consideration' is preceded by the word 'active'. Last year it was under consideration; this year it is under active consideration.

मेरा निवेदन यह है कि रिपोर्ट ग्रा गई है इसलिये तरन्त वृद्धि कराइये और इसकी घोषणा करिये और जो गरीब टबके के लोग हैं उनका जीवन स्तर सधारने में सहायता करें। धन्यवाद।

डा शजेन्द्र कुमारी वाजवेथी: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पहली बात यह कहीं कि कमीशन की रिपोर्ट जो 1982-83, 1983-84 की है, जिसमें यह कहा गया है कि कमी शन की हेल पलेस तरीके से रखा गया है, उसको पावर मिलनी च।हिये ताकि वह एफेक्टिव हो सके । इसके लिये जो कमीशन ने सजेस्ट किया है उसे मान लेना चाहिये। जैसा कि आप जानते हैं कांस्टिट्यशन की धारा 3(38) के अनुसार स्टेट्यूटरी पावर क्रमी-

भ्नर के पास है और दो सीनियर सेकेंटरी उसके साथ लगाये गये हैं जोकि गैडय ल्ड कास्ट और भैडयल ट्राइब्स की प्राबलम को देखेंगे। एक सीनियर सेकेटरी पी. एम. आफिस में लगाया गया है, इम्लीमेटिशन पारं को देखने के लिये। इस तरह कमीशन को नया रूप दिया गया है। कमीशन जब बनाया गया था, जिस रेजोल्यशन के ब्राधार पर बनाया गया था उसमें भी कमीणन अप्त इन्बबायरी ऐक्ट की पावर उसको नहीं दी गई यी । बहत सोच विचार करने के बाद, इन वर्षों में जिस तरह से काम हम्रा उसको देखते हुए उस ग्राफिस को संगक्त बनाया गया है ! जैसे मैंने बताया दो सीनियर सेत्रेटरी यहां लगाये गये हैं और कमिश्नर की पोस्ट जो पहले कारियान केसाथ जिला दी गई थी उसको हटा कर कमिण्नर के आफिस को पुरी तरह से समक्त किया गया है और इस क्योशन को नेमनल कमीशन की संज्ञा देकर इसके काम का अलगबंट-वारा कर दिया गया है। यह जरूरी नहीं है कि जितनी भी रेकमेंडेशस बजिस रूप में कनीशन की तरफ से की जाती है उनको उसी रूप में गवर्नमेंट स्वीकार करेगी। गवर्नमेंट जो प्रैक्टिक्ल साइड है. जो व्यावहारिता की दृष्टि से संभव है उसको कर सकती है। जैसा कि मैंने उस दिन जवाब देते हुए कहा था कि यह सही है कि जो कास्ट आफ लिविंग बढ़ रही है, जो कीमतें बढ़ रही हैं समय-समय पर इन कीमतों का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब कीमतों का व्यान रखते हुए रिवीजन किया जाता है तो आटोमेटिक रिवीजन का कहीं पर प्रावधान नहीं रखा जाता है। जब भी रिवीजन किया जाता है इस बात का एब्रेज देख कर कि कितना ज्यादा वढाया जा सकता है और साथ-साथ कठिनाइयां भी कम हो। हरिजन छात्र केहर लेवल पर प्रि मेटिक केजो स्कालरशिप हैं वह तो स्टेट गवर्न मेंट्स देखती हैं लेकिन पोस्ट मेट्कि जो स्कालरिशन्स भ्रोपन एंडिड स्कीम है। जितने लाख बच्चे पिछले साल पा चुके हैं स्कालरिंगप्स उसके बाद इस साल ग्रौर जितने लडके ऐड होंगें उनकी जिम्मेदारी सेंटल गवर्नमेंट पर होती है और वह हम स्टेट

गवर्नमेंट को दे देते हैं। पिछले वर्ष 10 लाख के करीब छात्र थे इस वार अगर डेड लाख और बढ गये तो डेड न ख के लिए जिन स्टेटस में जितनी संख्या में जिन प्रोपोरशन में स्ट्डेंट्स बढ़े हैं उन स्टेट्न को उसी अनुपात में स्कालरशिष्य की रकम दी जाती हैं। इस तरह से हमारे पास मांनड़े हैं वह यह बताते हैं कि यह जो बृद्धि होती गई है उस वृद्धि में संख्या ग्राज बढ़कर के इस वर्ष 12 लाख तक पहुंचने बाली है। यह पोस्ट मैट्रिक की **है। जहां तक माननीय सद**रय ने कहा कि पहले भी पिछले वर्षकहा गया हा अंडर कंसी**डरेशन** श्रीर इस बार कहा गया एकिटव बांसीडरेशन, मैं माननीय सदस्य **से कहना चाहती** हं कि हमारी जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई भी जिनमें कि मैम्बर्स एडिशनल सेकटरी प्लानिंग कमी-शन के थे, इयमेंन रिसोर्स डेवलपमेंट के भी थे. फाइनेंस मिनिस्दी के थे उन्होंने दो अप्रैल को 1986 को मीटिंग रखी यो पोस्ट मैदिक स्कालरिशप के मामले को देख कर भैडयल्ड कास्टस और भैडयल्ड ट्राइट्स के मामले में कमेटी ने अपनी मीटिंग करने के बाद 10 मार्च, 1987 को इसकी आखिरी मीटिंग हुई और पूरी डिटेल में यह कमेटी गई उसके और बाद जो भी कमेटी की रिपोर्ट थी उनमें से कुछ चीजों को हमने स्यीकार कर लिया जो कि हमारे डिपार्टमेंट के लिए वैलफेग्रर मिनिस्ट्री जिसको कर सकती थी उसको स्वीकार करके जैसे कि किस तरह से जल्दी देनां च हिये, डिले नहीं करनी चाहिये उन सबके लिए गाइडलाइस हमने स्टेटस को भेज दी। जहां फाइनेंस का सवाल था अधिक रूपय देने की बात थी उसके लिए प्लानिंग कमीणन को लिखा गया उनसे बातचीत चलती रही और ग्रभी जन के महीने में प्लानिंग कमीशन नेकहा है कि कितना बढ़ा सकते हैं। इसमें दो प्रश्न थे एक तो स्कालर्राणव की रकम कितनी बढ़ाई गई जैसे ग्रापने कहा कि यह कम है। हमारे वास जो श्रांकड़े हैं मेडिकल इंजीनियरिंग में प्रेजेंट रेट 185 होस्टेलियर्ज के लिए है और डेज स्कालर्ज के लिए 100 रुवये हैं हमने इन दोनों में वृद्धि करने की बात की है। इसी तरह से ईंडियन पेडिसिन डिंग्लोमा

[डा० राजेन्द्र कमारी वाजपेयी]

इन इंजीनियरिंग जो वी ग्रंप है इसमें प्रेजेट रेट होस्टेलियर्ज के लिए 125 है श्रीर डेब स्कालर्ज केलिए 100 रुपये हैं । सी ग्रंप में पोस्ट प्रेजयेशन इन ब्रार्ट साइसेज इत्यादि में 125 **र**पय होस्टलियर्ज के लिए और 100 रुपये डेज स्कालर्ज के लिए है। ही ग्रप जनरल डिग्री कोसेंज में 115 रुपया है, हे स्कालरो केलिए 70 रुपया है। ई पूप 10+2 क्लासेज में 75 रुपया होस्टलर्स के लिए और 50 रुपया हे स्कालर्स के लिए है। जो रिपोर्ट आफ हाई लेबिल आफिशियल कमेटी आन पोस्ट महिक स्कालराशप स्कीम फार शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड शिड्यल्ड ट्राइक्स है इसमें आपने जो सुझाव दिये हैं उन सुझाबों को देखते हुए इस बात का ध्यान रखा है कि ब्राज कीमतें बढ़ गई हैं क्रीर जो अभी तक प्रेजेंट रेटबाबह कम था ग्रतः इसको बढ़ाया जाये। साथ ही साथ पेरेंटस का भी जो इन्क्रम तुप था उसको भी बहाने के लिए सुझाव दिया गया है। को शिश इस बात की है कि जी इन्कम टैक्स पेहंग ग्रप की जो सीलिंग 20 हजार, 24 हजार या कुछ इस तरह से पड़ती है उस हद तक उसकी पहुंचाया जा सके, 12 हजार की जगह उत्पर पहुंचाया जा सके । ग्रभी हम इंतजार कर रहे हैं कि कस हद तक प्ला-निग कमीशन हमें इसकी मंजरी देता है। इसके पहले अभी मैं इतना ही कह सकती हं कि एक्टिब कंसीडरेशन जब मैं कहती हेतो इसके माने हैं कि काफी हद तक हम जो बढ़ाना चाहते है उसके लिए हमारी कोशिश जारी है और हम ग्राशावान है कि जो प्लानिंग कभीशन हमें मंजूरी देगा उससे काफी सब्सटेंशियल इन्क्रीज इन मदों में की जा सकेगी, हर लेबिल पर ए, बी, सी, डी और ई, पांचीं ग्रेपीं में ही वृद्धि की जा संकेगी। केवल यह नहीं कि हम लोगों ने इसे ग्रापको कहा ही है लेकिन इसके लिए हमारा पूरा प्रयत्न जारी है। अभी तक जैसे युप ए में इंजीनियरिंग, मेडिकल, बी० एस० सी० एग्रीकल्चर और वी.बी एस.सी. में 12 हजार पर एनम प्रेजेंट है, ग्रुप वी एण्ड ई में 9 हजार पर एनम का हैतो इसकी

बहाने की बात रखी गयी और और हमें अभा है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी क्योंकि एक रीजनेबल तरीके से सरकार का इय पांइट हैं कि जो हरिजन और आदि-वासी छात्र है जो होस्टलस में है जो है स्कालस हैं इनको इतनी मदद दी जाये जिससे कि उनकी पढ़ाई अच्छी तरह से चल सके।

माननीय सदस्य ने प्री मैटिक की बात की है। श्री-मैटिक स्कालरशिप तो पुरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट देती है। स्वालर-शिप का रेट हर एक स्टेट में अलग-अलग है जैसा कि ग्रापने पढ़ कर सुनाया । कुछ स्टेटस तो क्लास 1 से 5 तक कुछ देती हैं और कुछ स्टेट्स में वह नहीं दिया जाता है। ग्रान्ध्र प्रदेश, केरल, बिहार, हिमाचल प्रदेश , जे एण्ड के., उत्तर प्रदेश में तो क्लास 1 से 5 तक के लिये देते हैं। लेकिन वाकी स्टेट्स में थर्ड से एटथ तक देते हैं, कहीं क्लास 6 से 8 तक देते हैं, कहीं क्लास 9 से 10 तक देते हैं। इनमें अलग-अलग रेट्स हैं। ग्रान्ध्र प्रदेश में थर्ड से एट्थ तक एस. सी. के लिये 85 रुपये ग्रीर एस.टी. के लिये 50 रुपये पर एनम है। बहुत कम है। मैं इसको मानती हू कि बहुत कम है। लेकिन बाकी इनकी फीस इनसे नहीं ली जाती है। कुछ जगह पर सब लड़कों को देते हैं। कुछ स्टेट्स कुछ रेस्ट्रिक्टेड भी देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में क्लासवाइज है। हर एक क्लास में दो दो लडकों या लड़कियों को देते हैं। इसमें यह भी है कि एक परिवार के दो बच्चे पढ़ते हैं, तो दो से ज्यादा को नहीं देंगे। कुछ लोगों ने ये भी रेस्ट्रिक्शंस ग्रतः इन सारी चीजों **पर** लगा रखे हैं इस कमेटी ने गौर किया है और गौर करने के बाद ग्रपनी रिक्मेंडेशन्स भेजी हैं। वैसे ग्रभी जो एक्सपेंडीचर दिया जा रहा है, जो पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप ग्रभी तक दिया है 1985-86 में 9.777 लाख थां, इसमें 9,18,930 स्टडेण्ट्स को यह मिला है, 1986-87 में 11,351 लाख रुपये यह मिला है। 10,72,264 लड़कों को, 1987-88 में रुपये 11,764 लाख मिले जो कि लड़के हुए 11,97,378 और जैसा मैंने

कहा कि यह श्रोपन एडेड स्कीम है श्रीर यह 1988-89 में श्रीर वढ़ जायेगी। हर साल में बढ़ता चला जाता है। श्रापने जी प्रश्न उठाया कि इतने लोगों को मिलता है, श्रागे के लिये मैं इतना ही कह सकती हूं कि गवर्नमेंट ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि इसको बढ़ाया जाये श्रीर बढ़ाने के लिये हम प्रयत्नशील भी हैं श्रीर इसका रिइम्बर्समेंट जस्दी ही दिया जा सके, इसमें भी काफी सुश्चार हथा है।

re, increase

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : वृद्धि के संबंध में कोई निश्चित ग्रवधि ग्राप बताइएगा ।

डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयो : जैसे
मैंने बताया कि हमें पूरी ग्राशा है, इस
ग्रक्तैडेमिक ईयर में हम निश्चित तारीख
तो बता नहीं सकते, तेकिन इस ग्रक्तैडेमिक ईयर में यह वृद्धि हम डिक्लेयर
कर सकेंगे ग्रीर दे भी सकेंगे।

उप सभाध्यक्ष (श्री बी । सत्यनारायण रेड्डी): श्री ग्रजीत जोगी, जरा संक्षेप में बोलिये।

श्री स्रजीत जोगी: (मध्य प्रदेश):
उप सभाध्यक्ष महोदय, मैंने जो 29
तारीख को प्रश्न कमांक 41 इस संबंध
में किया था, उसका संबंध इस राष्ट्र
की लगभग 20 करोड़ श्राबादी से है
जो कि श्रादिवासियों श्रीर श्रनुसूचित
जातियों की है।

डा. राजेन्द्र कुमारो वाजपेयी : परन्तु साहे 22 करोड़ की है।

श्री श्रजीत जोगी: मैंने 1981 की जनगणना के आधार पर अनुमानित जनगणना कही है। यह प्रश्न इसिलये महत्वपूर्ण है, क्योंकि न केवल स्वतन्त्रता के बाद किन्तु स्वतन्त्रता के पहले भी जब राष्ट्रीयता महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतन्त्रता संग्राम चल रहा था तब से ही इस राष्ट्र ने यह प्रतिबद्धता प्रकट की थी कि यह वर्ग जो हजारों वर्ष से पिछड़ गया है, अनन्य कारणों से उसे दूसरों के समकक्ष लाया जायेगा और यह तभी

हो सकता है, जबकि उन्हें जिल्ल किमा जाये। शिक्षा के लिये जो प्रयान किया जा रहा है, वह छात्रवृत्ति ग्रीर वृत्तिका के माध्यम से किया जा रहा है। मैं संक्षेप में तीन या चार बिन्द माननीय मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहता है पहला बिन्द जो मेरे माननीय मिल माल बीय जी ने विस्तार से समक्ष रखा है वि जो शिष्यवृत्ति ग्रीर छात्रवत्ति ग्राज ही जा रही है, वह बहुत कम है। मैं तो यह कहंगा कि जो कुछ श्राज दिया जा रहा है वह इस तरह है कि जैसे हम गय हाथ से दें और दूसरे हाथ से ले ले वह इतना कम है कि किसी भी ग्रादिवासी या हरिजन छात्र के लिये उत्तनी छालवनि या शिष्यवत्ति में ग्रपनी शिक्षा प्राप्त करना असंभव है। मेरेपास सब प्रदेशों क आंकड़े तो नहीं हैं, मध्य प्रदेश के आकर मैं देख रहा था। उत्तरण के लि व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिये मध्य-प्रदेश में होस्टल में रहने वाले छात्रों को 170 रूपये और होस्टल में न रहने वाले छात्रों को 110 रूपये प्रतिमाह दिले जाते हैं। उसीं तरह से अन्य क लेजा में पढ़ने वाले छात्रों को 120 - हार **होस्टल में रहने वाले छात्रों** को ग्रीप 80 रूपये जो होस्टल में नहीं रहते. उन्हें दिये जाते हैं। 'ऐसे ही यांकड़ **ग्रन्य प.ठ्यक्रमों के लिये हैं**, ग्रिन्य कक्षाओ के लिये हैं। मैं भोप ल मेडकल कालेड में ग्रभी एक माह पहले ही गया था. वहा भी छात्रों से चर्चा की और वहां के डीन से भी बात की, तो पता चला कि वहां ग्राजकल जो छात्रावास में छाद्र रह रहे है उनके मैस को बिल ही तीन सी क्या से साढे तीन सौ रूपये प्रति माह ग्रात है। **ग्रीर जबकि हम वहां के छात्रों** का 120 रूपये प्रतिमाह कुल वजीफा, कुल स्कालर्राण दे रहे हैं । इसका अर्थ तो यह हआ कि जोकुछ हम दे रहे हैं, उसस तो वह विल्कुल भी ग्रपनी शिक्षा ग्रह नहीं कर सकता है। उसके पास एक दो विकल्प ही रहते हैं। पहला विकल तो यह कि वह अपनी पढ़ाई छोड़ दें, दनन विकल्प यह कि वह अपनी पढाई के नि कर्ज ले, तीसरा विकल्प यह कि अ पढ़ाई के लिये ग्रपने माता-पिता की भीक बेचे, ग्रपने माता-पिता के मवेशी बेच

re. increase [श्रो अजीत जोगी]

Half-on-hour discussion

या अपने माता-पिता के जेवर , वर्तन या जो कुछ भी घर में है, उन्हें वेचे श्रीर चौथा विकल्प यह है कि जो ग्रधिकांश छात इन दिनों, जिसका पालन कर रहे हैं कि वे होस्टल में ही नहीं रहते, वह कहीं झुग्गी-सोंपड़ी में एक छोटा सा कमरा जो कम खर्च पर मिल जाता है, लेकर रहते हैं, वहां स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। अब मेडीकल, इन्जी-नियरिंग कालेज में पढ़ने वाला छात्र. जो ग्रपना स्वयं भोजन बनाता है, तो भोजन बनाने में, बाजार जाने में, कुछ सामान लाने में, उसके रोज के चार-पांच घंटे खराब हो जाते हैं ग्रीर कठिन पाठ्य क्रम है, मैडिकल का, इन्जीनिरिंग का, तो वह किस तरह से उत्तीर्ण होगा। तब हम कहते हैं कि प्रातिवासी और वरिजन छात दूसरों के समकक्ष नहीं है, पांच साल के पाठयकम को पांच साल में पुरा नहीं कर पाता । यह किस तरह से संभव है, यदि हम इतना कम स्कालरशिप इतना कम वजीफा उनको देंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे यह देखकर बडा दुख हो रहा है कि यह स्कालरिशप, यह वजीफा बढ़ाने का प्रश्न शासन के पास सन् 1981 से विचाराधीन है, सात-आठ वर्ष हो गये हैं और इसमें निर्णय नहीं लिया जा सका है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया था कि इन्होंने श्रपने विभाग में जो उज्जस्तरीय कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट इन्हें 31 मार्च, 1987 को मंतालय को प्राप्त है । उसको प्राप्त हुए आज डेड़ वर्ष हो गये हैं और कोई अन्तिम निर्णय उसे बढ़ाने के संबंध में नहीं लिया जा सक रहा है। यह स्थिति बहुत ही दयनीय है। इन सात-ब्राठ वर्षों में यदि हम उपभोक्ता मृल्य सुचकांक, प्राइस-इण्डेक्स को देखें तो रूपये की कीमत लगभग दस पैसे हो गई है, ग्रीसतन ग्रर्थात् जो रेट सन् 1981 में तय किये गये थे, वह ग्राज के मुल्य के अनुसार 1/10 है। उस समय यदि हमने 170- रूपये देने का सोचा था, तो आज उसकी कीमत केवल 17 रूपये है। इतनी दयनीय हालत इन छात्र-छात्राओं

की है और यदि हम यह मानकर चल रहे हैं, जैसा राष्ट्रियता महात्मा गांधी ने कहा था, जैसा हमारी माननीय नेता इन्दिरा गांधी कहती थीं श्रीर श्राज हमारे प्रधान मंत्री माननीय राजीव गांधी कहते हैं कि इन वर्गों को दूसरों के समकक्ष लाना है, दूसरों की बराबरी पर उनको खड़ा करना है, यह इस तरह से उनको स्कालरिशप देकर, इस तरह से उनको शिष्य-व तत देकर या इस तरह से छालवति सहलियत देकर इसको कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता।

328

यह बात विवारणीय है कि इसमें बहत अधिक पैसा नहीं लगेगा। (लभय की घंटी)...मैंने तो उप-सभाध्यक्ष महोदय, ग्रभी प्रारम्भ ही किया है।

उपसमाध्यक्ष (श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी): यह आधे घंटे की चर्चा है और श्राधा घंटा हो गया है।

श्री प्रजीत जोगी: प्रश्न मेरा ही था, सर ।

उपसभाध्यक (श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी) : ठीक है, संक्षेप में कहिये। सात-आठ मिनट ग्रापके हो गये हैं।

श्री अजीत जोगी : उपसभाष्ट्रयक्ष महो-दय, मैंने केवल मध्य प्रदेश के जो छात श्रभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके विषय में अभी एक तरफ गणना की थी, कि कितनी ग्रतिरिक्त राशिकी ग्रावश्यकता होगी । यदि हम इसे कोई श्रच्छी राशि तक बढ़ा दें, जैसे 170 रूपये मेडीकल इन्जीनियरिंग कालेज के छालों को दे रहे हैं, उसे यदि हम 500/-रुपये भी कर दें, तो कुल कितनी राशि की प्रावश्यकता होगी। मध्य प्रदेश में हरिजनों ग्रीर ग्रादिवासियों की बहत बडी ग्रावादी है। पूरे देश के लिये अगर हम कोई रफ गणना करें, तो 10-12 करोड़ से अधिक की राणि की माब-श्यकता नहीं होगी।

उपसभाष्यक्ष महोदय, भेरा निवेदन है कि बहुत सी हमारी ऐसी योजनायें

हैं, जिनका कोई विशेष लाभ हमारे राष्ट्र की जनता को नहीं मिल रहा है साम हिक-गान के लिये हम दो करोड रूपये प्रति वर्ष व्यय कर रहे हैं, प्रौढ़-शिक्षा के लिये हम करीब सौ. डेढ सौ करोड रूपये प्रतिवर्ष व्यप कर रहे हैं। इनमें से यदि कुछ राशि निकालकर इस अर्थ के लिये, इस काम के लिये दे दी जायेगी, तो उसका बहुत ही बडा फायदा हमारे इन वर्ग के लोगों को होगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, एक ग्रीर मध्य बिन्द ग्रापके माध्यम से मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक ग्रोर जहां यह वजीफा वहुत कम है, दूसरी ग्रोर यह वजीफा, शिष्य वित्त या छात्रवित्त जो दी जाती है, उसका देश के किसी भी हिस्से में, कभी भी समय पर भुगतान नहीं होता है। महोदय, वैसे नियम तो यह है कि जलाई में जब स्कल ग्रीर कालेज खुलते हैं, उस समय होस्टल चालू हो जाने चाहिये, स्कालरिशप की पहली किश्त दे दी जानी चाहिये। परन्तु ग्रपने ग्रनभव के ग्राधार पर कुछ मैंने राष्ट्र के सभी प्रान्तों में देखा है, उसके आधार पर में कह सकता हूं कि पहला भगतान दिसम्बर महीने के पहले नहीं होता ग्रयांत लगभग 5-6 महीने हमारे श्रादिवासी, हरिजन छात्र बिना किसी मदद के पढ़ाई करते हैं। यदि वह इतने सक्षम होते, यदि उनके माता-पिता इतने धनवान होते कि छः माह उसको बिठाकर बिना सरकारी मदद के पढ़ा सकते तो फिर इस सरकारी मदद की जरूरत ही क्या थी? इस तरह से एक ग्रोर जहां हम बहुत कम राशि देते हैं, वहीं दूसरी ग्रोर जो कुछ देते भी हैं, वह बहुत रुला रूला कर देते हैं। कहीं दिसम्बर में, कहीं मार्च में, मई-जून में और कहीं-कहीं तो ऐसे प्रकरण सामने भ्राये हैं, कि पूरा वर्ष ही बीत गया फिर भी उसका भगतान नहीं हुआ। इसलिये मैं मंत्री महोदय से और हमारी केन्द्रीय सरकार मे यह निवेदन करूंगा कि राज्य सरकारों को यह स्पष्ट निर्देश दिये जायें कि वजीफे का भुगतान समय पर

हो। यदि आवश्यक हो, तो उसके लिये अधिकार विकेन द्वत किये जाने चाहिये। शाला या महाविद्यालय के जो प्रमुख हैं, उनको अधिकार दिये जाने चाहिये कि वे ही स्वीकृति प्रदान कर सकें। जहां वैक की शाखाओं के माध्यम से भुगतान होता है, जो बैंक की शाखा स्कूल या कालेज के पास हो वहां पैसा जमा हो जाना चाहिये। महोदय, बजट जिला स्तर पर बहुत देरी से पहुंचता है, यह भी अप्रैल के माह में ही पहुंच जाना चाहिये। जहां बजट नहीं पहुंचता है, वहां सक्षम अधिकारियों को अधिम आहरण करने के अधिकार दिये जाने चाहियें।

महोदय, आप दो-तीन बार घंटी बजा चुके हैं, इसलिये मैं यही कहना चाहंगा कि हमारे राष्ट्र ने नयी शिक्षा नीति के माध्यम से एक संकल्प किया है, माननीय राजीव जी ने यह संकल्प लिया है कि इस देश में शत-प्रतिशत साक्षरता 2000 ए०डी० तक आ जायेगी। लेबिन महोदय, इन चालीस वर्षों में और मैं हमारे मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों के बारे में कहना चाहता हं कि ग्रभी भी करीब 90 विकास खण्ड ऐसे हैं. जिनमें केवल 5 प्रतिशत साक्षरता है, यानी 40 वर्षों में हम सौ में से पांच लोगों को साक्षर कर पाये हैं। तो जो गति रही है, उस गति से हमको लोगों को साक्षर बनाने में 8 शताब्दियों यानि ग्राठ सौ वर्ष लगेंगे । यह स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है। यदि इन्हें हमें तेजी से दूसरों के समकक्ष लाना है तो ये वजीफे हमें बढाने होंगे समय पर देने होंगे और तभी यह लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं।

महोदय, ग्रन्तिम बात मैं यह कहना चाहूंगा कि मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि इन वजीफों के लिये ग्राय का प्रतिबन्ध लगाया गया है। मैं ग्राय के प्रतिबन्ध के विषय में केवल दो ही बातें कहना चाहूंगा। जहां तक यह ग्राय का प्रतिबन्ध है भीर ग्राय के प्रमाणफ्त

[श्री ग्रजीत जोगी]

जो राजस्य अधिकारियों हारा दिये जाते हैं, उसमें जिस व्यक्ति की ग्राय सबसे ज्यादा होती है, वह सबसे पहले ग्रौर ब्रासानी से कम ब्राय का प्रमाणपत ले लेता है, लेकिन जो गरीब होता है, जिसकी श्राय वास्तव में कम होती है, वह दर-दर भटकता है। दो-दो, तीन-तीन थ्रौर चार-चार महीने तक भटकता रहता है । महोदय, हमारे देश के सभी **ग्रादि**वासी, हरिजन लोग गरीव हैं, इक्का-दुक्का ऐसे प्रकरण होंगे, जहां कि वै गरीव नहीं हैं। तो सब लोगों पर आमदनी का यह प्रतिबन्ध लगाकर कि उनको राजस्व ग्रधिकारी से प्रमाणपत लेना है, हम इन ग्रादिवासी, हरिजन छात्रों श्रीर उनके पालकों को दो-तीन महीने हर वर्षे भटकाते हैं। इसलिये मेरा यह अनुरोध है कि ग्रामदनी का प्रतिबन्ध बड़ा ही काउन्टर प्रोडिक्टव है, इसे ममाप्त कर देना चाहिये ग्रीर ग्रधिक ग्रच्छा तो यह हो कि हर छात्न को उसके प्रवेश लेते ही, एक ग्रायडेंटिटी कार्ड, जिसे हम पहचान-पत्र न कहकर ग्रधिकार पत्र कहें, वह दे देना चाहिये, ताकि उसे ग्रयनी जाति का प्रमाणपत लेने के लिये जो भटकाना पड़ता है, उससे वह बच जाये और न बार-बार उसे आमदनी का प्रमाण-पत लेना पड़े और तभी हम उनको दूसरों की बराबरी पर ला सकते हैं।

ब्रन्त में, मैं उपभोक्ता मृत्य सुचकांक के विषय में अवश्य कहना चाहंगा क्योंकि मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि इस वजीफो को भविष्य में उपभोक्ता मृत्य सुचकांक से जोड़ना संभव नहीं होगा, यह ब्यव-हारिक नहीं है मैं यह कहना चाहंगा कि जिस प्रकार इस बार रोविजन के लिये बाठ साल लग गर्य हैं ब्रीर हम अभी तक रोविजन नहीं कर पाये हैं बढ़ा नहीं पाये हैं, तो अगली बार अब, हम बढ़ाना चाहेंगे, तो फिर से 8-10 साल लगेंगे । इसलिये जैसे हम शासकीय कर्मचारियों के लिये, शासकीय अधिकारियों के लिये करते हैं, कि उनके

जो बेतन-भत्ते होते हैं ग्रीर जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे उपभोक्ता मल्य सुचकांक के आधार पर वे बढ़ाते जाते हैं। वैसे ही थोड़ी सी जनसंख्या है, इन श्रादिवासी और हरिजन छात्रों की, उनके लिये भी वैसे ही करना च_िहिये। स्वयंमेव की बात नहीं है, हर वर्ष एक निश्चित तारीख तय कर दी जाये, किस तारीख को हमारे देश में स्कूल ग्रीर कालेज खुलते हैं, उस तारिख के ब्राधार पर जो भी मृत्य वृद्धि हुई हो, उसकी वृ**द्धि** वजीफे और स्कालरशिप में और इस शिष्यवृत्ति में अपने आप हो जानी चाहिए। ... (समय की घंटी) ...

उपसमाध्यक्ष (थो बो । सत्यनारायण हो गया, बहुत समय लिया ग्रापने ।

श्री ग्रजीत जोगी: अन्त में मैं इस अनरोध के साथ कि जो रीविजन लिया जा रहा है, उसको शोध्र किया जाये, श्रपनी बात समाप्त करता है।

उपसमाध्यक्ष (ओ बी॰ सत्वनारायण रेड्डी): श्री हरि सिंह जी सभी बातें आ गई हैं, आप सिर्फ दो मिनट के अन्दर खंतम कीजिये।

श्री हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : मैं, उपसभाध्यक्ष जी, सिर्फ दो बातें करना चाहता हं। सरकार के प्रयत्नों से हरि-जनों में भी वड़े मैमाने पर एज्केशन शुरू हो गई है और हरिजन - ग्रादि वासी लोग शिक्षा में बढ़ रहे हैं। लेकिन बहत से घर ऐसे होते हैं कि जिनके पास कोई आमदनी का, पैसे का सहारा नहीं होता, सिर्फ वजीफे के सहारे और अधिक सहायता, कितावों के सहारे वे पढते चले जाते हैं। मंहगाई बढ़ गई है, बडे शहरों में उनको पड़ना पड़ता है, उसके मास कोई और पैसा कमाने का साधन नहीं होता और त्राज की परिस्थितियों को देखते हुए उनको वजीको का बढ़ासा जाना 333 re increase

बहुत त्रावश्यक है और यह ऐसा सवाल है, जिस पर बहुत दर सोचने-विवासने की जरूरत नहीं है और डा॰ साहब तो, खुद हरिजनों के लिये वड़ी सहान-भृति रखती हैं। मुझ उम्मीद है कि वे उनके बजीफे को जरूर बढ़ा देंगे।

उपसमाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेडी): मंत्री जी।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : वजीफा बढ़ाया जाबेगा श्रीर में इस समय इस स्थिति में नहीं है कि कितना बढाया जायेगा, यह बता सक्, लेकिन यह बढ़ाया जानेगा और इन्कम सीलिंग भी वढ़ाई जायेगी और जो रितर्व स्कालरिशप है, उनके लिये तो इन्कम सीलिंग रखी भी तहीं गई है। इस समय तक 45 हजार 760 विद्यार्थी इस पोस्ट मैट्रिक क्ल सिज में. बड़ी क्लासिज में बीoएसoसी अरेर मैडिकल इन्जीनियरिंग ब्रादि पढ रहे हैं। जो माननीय सदस्य ने कहा है कि समय पर नहीं दिया जाता है और इसको डी-सैन्ट्लाइज करने की वात, तो 30 अक्तूबर, 1987 को हम।री तरफ से, बैलफेयर मिनिस्टी की तरफ से सारे स्टेट्स को इस प्रकार का सर्नुलर भेज दिया गया है, जिसमें कहा कहा है :

"The Scheme should be decentralised at the institutional level for early distribution of scholarships, and an advance amount may be placed at the disposal of heads of educational institutions during July-August based on the expenditure incurred during the previous years. The balance amount should be released to the institutions after the details of scholarships disbursed are received from the colleges. The institution call for the applications immediately after trie admissions are over arid it should ensure that scholarships are awarded within the 30 days on receipt of the applications."

अब गर्वनमेंट की तरफ से पूरी कोशिश है कि इसे डी-सैन्ट्ल इज करके और जल्दी से जल्दी मन्थली बेसिज पर इसकी क्या जाय। ग्राखर म, इयर एण्ड म दिसम्बर में या मार्च में देने से विद्यार्थियों को लाभ नहीं हो सकता है और इसी कारण यह निर्णय िया गया है। इस बार जो हमाी नई एजुकेशन पालिसी है उसके अन्तर्गत भी एज्केशन टैकन प्लान में इस वात पर विशेष जोर दिया गया है और हर एक स्टेट को इस तरह की ताईद की गई है कि वह डी-सैन्ट्रलाइज करके और समय पर इसको कराएं ब्रासाम, ब्रान्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बैस्ट बंगाल इन्होंने तो डिस्ट्रिक लैवल पर भ्रौर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, तमिलनाडु, चंदीगढ़ पांडिचे ी ने भी डिसेन्ट्लाइज इंस्टीटयशन लेवल पर कर दिया है, जिससे कि समय पर उनको मिल सके। इसके वावजद भी कहीं कहीं से जिकायतें आती हैं। इस पर हंमने जो गाइडल इन्स भेजी हैं और जो अक्तबर में करना है, हर स्टेट को हमारी अ.गा है इससे आज जो कठिनाइयां है उनको दूर किया जा सकेगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: बढाने के बारे में क्या कहना है ?

डा० राजेन्द्र कथारी वाजयेयी जो बद्धि हो रही है, इनका भी ख्याल रखा केवर इतना ही है कि जैसे गया है। रेप्यनरेशन दिया जाता कर्मचारियों को ग्राटोमैटिक डी० ए० भना उस तरह से यह नहीं है। यह तो एक ग्रसिस्टेंस है, जिससे विद्यार्थियों को सह-जिनके पैरेंट्स की इन्कम लियत हो। कम है, उनके बच्चों को ग्रसिस्टेंस के रूप में यह दिया जाता है।

PALLING ATTENTION TO A MATTE OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE-

Devastating floods in Different parts of th country and the steps taken by Governmen in this regards.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B SATYANARAYAN REDDY): Now, w shall resume discussion On the Calling At tention. Shri Narreddy Thulasi Reddy